<u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—811 / 2014</u> संस्थित दिनांक—08.09.2014 <u>फाईलिंग नं. 234503005962014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

<u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

सरोज सिंह मेरावी, जिलेसिंह मेरावी, उम्र 26 साल, जाति गोण्ड, निवासी ग्राम सूजी थाना मलाजखण्ड, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

<u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-7/12/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—26.08.2014 को दिन के 11.30 बजे, स्थान ग्राम सूजी थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी जिलेसिंह मेरावी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी/आहत जिलेसिंह को लकड़ी की पीड़ा (पटिया) उठाकर कर सिर में दाहिने कान के पीछे मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी जिलेसिंह मेरावी ने दिनांक—26.08.2014 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में मौखिक रूप से इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम सूजी में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। दिनांक—26.08.2014 को दिन के करीब 11.30 बजे वह खेत से घर कढ़ाई लेने के लिये गया था उसने उसकी बड़ी बहु सुनीता को बोला आज त्यौहार है कढ़ाई दो घर में कुछ पकवान बनाना है तो उसका लड़का सरोजिसंह उससे बोला कि उसकी घरवाली को भोसड़ी के कहकर क्यों गाली दे रहा है। इसी बात पर से उसे लकड़ी की पीड़ा (पटिया) उटाकर सिर में दाहिने कान के पीछे मारा जिससे

उसके यहां खून निकलने लगा एवं सरोजिसंह ने उसके साथ लात—मुक्को से भी मारपीट की थी तथा उसे मॉ—बहन की गन्दी—गन्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिरयादी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी सरोजिसंह के विरूद्ध अपराध कमांक—133/14, धारा—294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी / आहत जिलेसिंह मेरावी ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 (भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—26.08.2014 को दिन के 11.30 बजे, स्थान ग्राम सूजी थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादी/आहत जिलेसिंह को लकड़ी की पीड़ा (पटिया) उठाकर कर सिर में दाहिने कान के पीछे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दू पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत जिलेसिंह मेरावी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है जो उसका लड़का है। घटना दिनांक—26. 08.2014 की नारबोद के दिन की 11.30 बजे की है। उसकी बहु सुनीता बोल रही थी कि एक कढ़ाई दो घर में कुछ पकवान बनाना है तो उसका लड़का कुछ और समझ लिया और उसकी बहु को गाली देने लगा तो उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उससे भी गाली—गुप्तार किया एवं उसको धक्का दिया। धक्का देने से उसका

सिर दरवाजे से टकरा गया था जिस कारण उसको चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका मुलाहिजा मलाजखण्ड अस्पताल में हुआ था। पुलिस मौके पर आई थी और उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थें। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक—26.08.2014 की दिन के 11.30 बजे की है एवं आरोपी सरोजिस ने उसे गाली—गुप्तार किया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसे उसके लड़के सरोजिस ने लकड़ी के पीड़ा (पिटया) से मार दिया था जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में लकड़ी के पीड़ा (पिटया) ने मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— साक्षी कोदनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में किया है कि वह आरोपी सरोजिसह एवं प्रार्थी जिलेसिंह को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक—28.08.2014 की है एवं वह बड़े घर कढ़ाई मांगने गया था कि पकवान बनाकर वापस कर देगा। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उक्त बात को लेकर सरोजिसिंह ने उसके भाई जिलेसिंह को माँ—बहन की गन्दी—गन्दी गालियाँ दी थी एवं आरोपी सरोजिसिंह ने लकडी की पीड़ा (पिटया) से जिलेसिंह को सिर के पीछे मार दिया था जिससे उसे चोट आई थी। उसने आरोपी सरोजिसिंह एवं प्रार्थी जिलेसिंह के बीच गाली—गलौच एवं मारपीट होते हुये न हीं देखा और न ही सुना। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को बयान दिया था। साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

7— प्रकरण में अभियोजन ने मात्र फरियादी/आहत जिलेसिंह मेरावी (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है, इसके अलावा अभियोजन की ओर से कोदनसिंह (अ.सा.2) की चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया है, किन्तु उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी ने तथाकथित रूप से लकड़ी की पटिया को खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में उपयोग कर कथित

मारपीट की थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरूद्ध कथित लकड़ी की पटिया या अन्य खतरनाक साधन के रूप में उपयोग कर आहत जिलेसिंह मेरावी को स्वेच्छया उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सरोजिसंह ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फिरयादी/आहत जिलेसिंह को लकड़ी की पीड़ा (पिटया) उडाकर कर सिर में दाहिने कान के पीछे मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया। अतएव आरोपी सरोजिसेंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक नग पीडा (पटिया) मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट